

सं / No. 17556/717/CO-HR

दिनांक / Date: 05.12.2024

विषय- सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा पीएफ में संचित राशि का आहरण
Sub: **Withdrawal of PF accumulations i.r.o. Retired Employees.**
-000-

1.0 बीईएल भविष्य निधि ट्रस्ट कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त ट्रस्ट है। भविष्य निधि ट्रस्ट के नियमों के अनुसार, सदस्य अपने नियोजन की समाप्ति पर, अपने खाते में जमा भविष्य निधि राशि को पूर्ण और अंतिम निपटान के साथ आहरित करने के पात्र हैं।

BEL Provident Fund Trust is an exempted Trust under Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952. In accordance with the Provident Fund Trust Rules, a member is eligible to withdraw the Provident Fund accumulations at his / her credit in full and final settlement, on cessation of his / her employment.

2.0 ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनका पीएफ ट्रस्ट में खाता है, को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे अपने खाते में पीएफ संचित राशि को आहरित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करें। सेवानिवृत्त कर्मचारी निर्धारित प्रारूप (फॉर्म 19) में संबंधित पीएफ ट्रस्ट को आवेदन प्रस्तुत करते हुए आहरण का दावा प्रस्तुत करेंगे।

Retired Employees of who have their account with the PF Trust, are hereby informed to submit application for withdrawal of the PF accumulations at their credit. Retired Employees shall prefer a claim for withdrawal by submitting the application in the prescribed form (Form 19) to the respective PF Trust.

3.0 सेवानिवृत्त कर्मिकों द्वारा पीएफ निधि के आहरण की कार्य-प्रणाली के संबंध में एक विस्तृत अधिसूचना पीएफ ट्रस्ट द्वारा नियत समय में जारी की जाएगी।


A detailed notification with respect to the modalities of withdrawal of PF funds by Retirees will be issued by the PF Trust/s in due course.

4.0 धनराशि आहरित करने के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31.12.2024 है।

The last date for submission of application form for withdrawal of funds is 31.12.2024.

5.0 प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई की जाएगी और सेवानिवृत्त कर्मचारी के खाते में संचित पीएफ राशि दिनांक **15 जनवरी 2025** तक संवितरित की जाएगी।


Applications received shall be processed and PF accumulations at the credit of the Retired Employee shall be disbursed on or before **15th January 2025**.





महाप्रबंधक (मानव संसाधन) 05.12.24

GENERAL MANAGER (HR)



मानक संवितरण / STANDARD DISTRIBUTION

सीएमडी	डी (ओयू)	डी (एफ)	डी (एचआर)	डी (मार्केटिंग)	डी (बीसी)	डी(आर एंड डी)	सीवीओ
CMD	D (OU)	D (F)	D (HR)	D (MKTG)	D (BC)	D (R&D)	CVO